राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715635, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक: राशशिप / ज्ञग / CLICK / 2019 / 4170 दिनांक: 30 / 7 / 2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– क्लिक कार्यक्रम के सत्र 2019–20 में संचालन के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– परिषद का पत्र क्रमांक 9189 दिनांक 20.12.2017, क्रमांक 8256 दिनांक 17.11.2017 एवं क्लिक कार्यक्रम के संबंध में जारी दिशा–निर्देश।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के चयनित विद्यालयों में CLICK कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नोलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीकृत ITGK के द्वारा एमओयू करके स्वपोषित योजना के तहत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षण कार्य विद्यालय स्तर पर करवाये जाने की योजना सत्र 2017–18 से चल रही है। इस सत्र 2019–20 में भी जिला स्तर से मॉनिटरिंग एवं सहयोग कर कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें।

अतः क्लिक योजना से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु निम्नांकित पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देश की पालना भी सुनिश्चित करे :–

1. राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित आईटी ज्ञान केन्द्र को किसी भी जिले के विद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 3.4 अनुसार न्यूनतम 200 विद्यार्थियों को क्लिक योजना से लाभान्वित किया जाना है। पाचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते है।
3. विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा क्लिक योजना से सभी विद्यार्थियों को लाभावित करवाना सुनिश्चित करे ताकि सभी विद्यार्थियो में एकरूपता से कम्प्यूटर ज्ञान कौशल व व्यावसायिक दक्षता विकसित हो सके।
4. परिषद पूर्व दिशा निर्देशानुसार पाठ्यक्रम की निर्धारित समयावधि कक्षा 6 से 8 तक 50 घण्टे, व कक्षा 9 से 10 तक क्रमशः 72 व 60 घण्टे (पूरे वर्ष में) कोर्स होना है। निर्धारित अवधि में ही कोर्स पूर्ण किया जाना है।
5. योजना में पंजीकृत विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ही विद्यार्थी को प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। (प्रति वर्ष प्रमाण–पत्र जारी करावे)
6. योजना में क्रियान्वयन संस्था को पूर्ण (एकत्रित की गई) फीस/शुल्क चैक के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रोपराईटर फर्म कि स्थिति में फर्म के संस्थाप्रधान के नाम से चैक दिया जा सकता है।
7. विद्यार्थियों से शुल्क का संग्रहण एसडीएमसी द्वारा ही किया जावेगा। शुल्क संग्रहण प्रतिमाह को 10 तारीख तक किया जाकर, 15 तारीख तक आर.के.सी.एल के आई.टी. ज्ञान केन्द्र को अग्रिम आधार पर भुगतान किये जाने का प्रावधान है। आई.टी. ज्ञान केन्द्र को सीधा भुगतान करने का दायित्व एसडीएमसी का रहेगा।

www.rajteachers.com

8. क्लिक योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 का बकाया भुगतान संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से शुल्क एकत्रित कर आई.टी. ज्ञान केन्द्र के संस्थाप्रधान को किया जाना सुनिश्चित करें।

9. जिले में इस सत्र 2019–20 मे क्लिक कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों की प्रगति से परिषद मुख्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(एम.आर. बगड़िया)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/CLICK/2019/1170 दिनांक 30/7/2019

प्रतिलिपि: – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त विद्यालयों (रामावि/राउमावि/मॉडल स्कूल) में प्रेषित कर लेख है उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रबंध निदेशक, आरकेसीएल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

~~[illegible]~~ :-   ~~[illegible]~~

क्रमांक :- अजपास/ADPC/[illegible]/PO-II/2019-20/1169   दिनांक: 01/08/19

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त, जयपुर

को प्रेषित कर लेख है कि प्रासंगिक पत्र के अनुसार पालना सुनिश्चित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

PO II
तकनीकी

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर